न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-29/2017

नानूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0-1 ग्राम परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1-भगवानसहाय
2-बंशीधर
3-श्योनारायण
4-रामेश्वर — पुत्रगण श्यामाराम
5-गणपत
6-प्रभूदयाल
7-अर्जुन
8-जगदीशप्रसाद पुत्र मंगलाराम
9-अर्जुनलाल पुत्र मंगलाराम
10-रूडाराम
11-गिरधारी
12-प्रहलाद — पुत्रगण भूराराम
13-रामलाल
14-महेन्द्र
15-राजेन्द्र

(1 से 15) समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी जोहडावाली तन महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

16-कैलाशचन्द पुत्र सीताराम जाति पुरोहित निवासी रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

17- मुखाराम
18- लादूराम — पुत्रगण भूराराम जाति जाट निवासीगण परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

19- प्रमोद कुमार
20- मनोजकुमार
21- अरूणकुमार — पुत्रगण प्रभूराम
22- बिमलादेवी पत्नी प्रभूराम
23-हरदेव पुत्र भरा
24-रामलाल पुत्र बालूराम
25-सेवाराम पुत्र बालूराम
26-रविकुमार उर्फ गोपाल पुत्र बालूराम

(19 से 26) जाति जाट निवासीगण ढाणी पुनियावाली तन जैतूसर तहसील श्रीमाधोपुर ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27- बीरबल पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ढाणी पुनिया वाली तन महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
28- बाबूलाल पुत्र उदाराम जाति अहिर निवासी ढाणी का कोडिया वाली तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
29- कालूराम पुत्र भूराराम जाति अहिर निवासी ढाणी मेहरावाली तन ग्राम सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
30- बिमलादेवी पत्नी जगदीशप्रसाद जाति कुमावत निवासी वार्ड नं0-20 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
31- चन्द्रभान पुत्र ओमप्रकाश जाति कुमावत निवासी खाटूमोड के पास वार्ड नं0 -5 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
32- लादूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
33- चौथमल पुत्र घीसाराम जाति जांगिड निवासी घायलान परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
34- सतवीरसिंह पुत्र महादेवप्रसाद जाति जाट निवासी गोविन्द नगर गोकुलपुरा रोड झोटवाड़ा जयपुर जिला जयपुर ।

35- गोपाल पूनिया
36- तेजस पुनिया

पुत्रगण रूघनाथ जाति जाट निवासी-177 गणगौर नगर गली नं0-3 श्री गंगानगर राजस्थान।

37- प्रभातीदेवी पत्नी रूघनाथ
38- तीजवन्ती पुत्री रूघनाथ
39- इन्द्रादेवी पुत्री रूघनाथ
40- गोपाल पुत्र रूघनाथ
41- कुमारी सावित्री पुत्री रूघनाथ
42- गायत्री पुत्र रूघनाथ
43- कुमारी आभा पुत्री रूघनाथ
44- तेजस पुत्र रूघनाथ

समस्त जाति जाट निवासीगण गणपति धाम के सामने परसरामपुरा सरगोठ वार्ड नं0-1 रींगस तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

45- प्रबन्धक एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा जयपुर राज0 ।
46- हल्का पटवारी सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
47- उप पंजीयक श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
48-तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्ट्स---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11-4-17 द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ।

उपस्थिति-

1-श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

3-श्री सरदारसिंह एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

4-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 9.4.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में दावा बंटवारा उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती राजस्व रेकार्ड एवं शून्य व अवैध, प्रभावहीन घोषित किये जाने विक्रय पत्र का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0-17 व 18 ग्राम सरगोठ की तन में स्थित आराजी पुराने ख0नं0 208/1264 रकबा 16 बीघा 16 बिस्वा ख0नं0 208/1267 रकबा 39 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 74/1249 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा कुल किता-3 रकबा 59 बीघा 3 बिस्वा में से 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार सीताराम पुत्र मांगीलाल जाति पारीक से 9/10 हिस्सा दिनांक 26-12-83 को क्रय किया था जिसका विक्रय पत्र उप पंजीयक कार्यालय से दिनांक 6-1-1984 एवं पंजीकृत 11-1-84 को किया गया। जिसके दौरान सैटलमेन्ट ने नये ख0नं0 240, 329, 330, 336, 339, 239 तत्समय कायम किये गये। इनमें से 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि एन0एच0-11 में अवाप्त हो गई थी। उक्त आराजी में 1/2 हिस्से के खातेदार प्रतिवादी सं0-1 से 15 के पूर्वजों ने प्रतिवादी सं0-16 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा वर्ष 1980 में विक्रय कर दिया था। तथा प्रतिवादी संख्या-16 को उक्त भूमियों में से 9/10 हिस्सा वर्ष 1983-84 में वादी एवं प्रतिवादी सं0-17 व 18 ने क्रय कर लिया। इसके बाद प्रतिवादी सं0-1 से 15 के पूर्वजों द्वारा वाद पत्र में दर्ज भूमियों में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिये जाने के पश्चात सैटलमेन्ट कार्यवाही हो जाने के पश्चात प्रतिवादी सं0-1 से 9 के पिता श्यामाराम, मंगलाराम व प्रतिवादी सं0-10 से 15 ने एक दावा न्यायालय

सहायक जिलाधीश श्रीमाधोपुर के यहां वर्ष 1995 में एक दावा श्यामाराम बनाम कैलाशचन्द प्रस्तुत कर न्यायालय को मुगालता देकर फ्राडली रूप से दि0 23-10-2007 को निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली । जिसमें ख0नं0 329 में से 0.38 हैक्टर की डिक्री प्राप्त कर अपने नाम खातेदारी अंकित करवाकर दिनांक 7-1-2013 को प्रतिवादी सं0- 29 व 30 को विक्रय कर दिया जिसका विक्रय पत्र दिनांक 7-1-2013 को कर दिया ।तथा प्रतिवादी सं0-29 व 30 ने उक्त भूमि में से 27/34 हिस्सा प्रतिवादी सं0-31 को दिनांक 8-4-2013 को विक्रय कर दिया। तथा प्रतिवादी सं0- 5 व 7 ने तथा प्रतिवादी सं0-29 व 30 ने शेष रहा हिस्सा प्रतिवादी सं0-32 को विक्रय कर दिया तथा प्रतिवादी सं0-32 ने प्रतिवादी सं0-18 को विक्रय कर दिया। इस प्रकार निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-10-2007 के बाद उक्त भूमि को अलग अलग व्यक्तियों को विक्रय पत्रों के माध्यम से हस्तान्तरण की गई ।उक्त विक्रय पत्र वादी के अधिकारों पर बेअसर है।प्रतिवादीगण ने फ्राडली निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर उक्त आराजी की किस्म परिवर्तन की मनचाहे रकबे पर बाहुबल के आधार पर कब्जा करने, वादी को बेदखल करने एवं बिना वाणिज्यक प्रयोजनार्थ निर्माण करने की कुचेष्ठा में प्रयासरत है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नहीं है । अतः दावा स्वीकार कर उक्त आराजी का बाई मीटस् एण्ड बाउण्डस् बंटवारा किया जाकर सींव नींव कायम किये जाकर अलग अलग लगान कायम किये जावे तथा वादीगण के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे निर्माण नहीं करें हस्तान्तरण नहीं करें । इसी दौरान प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजी का पूर्व दावे में बंटवारा विधिवत किया जा चुका है जिसका निर्णय अदालत ~~0000~~ हाजा द्वारा किया जा चुका। तथा वादी ने जिसके विरूद्ध अपील माननीय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है ।इस कारण यह दावा वादी का विधि द्वारा वर्जित है । अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में जिस प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने निर्णय पारित किया है उस प्रार्थना पत्र को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने [illegible] नोट प्रेस कर लिया था तथा निर्णय से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या-19 रूघनाथ पुत्र त्रिलोका की मृत्यु हो चुकी थी ।तथा प्रार्थना पत्र नोट प्रेस कर लिये जाने के बाद भी अदालत मातहत ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर आदेश पारित किया है । दावे में किसी भी प्रतिवादी की तामिल लौटकर नहीं आने का आदेशित में कोई उल्लेख नहीं है जबकि कानूनन सभी पक्षकारों की तामिल होकर सभी से जबाब लेकर विधिक प्रक्रिया अपना कर आदेश दिया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने बिना तामिल कराये ही आदेश पारित किया है जो विधि के विपरित है ।अदालत मातहत में वादी/अपीलान्ट ने दावा प्रतिवादी सं0- 1 से 9 के पिता श्यामाराम मंगलाराम व प्रतिवादी सं0-10 से 15 के द्वारा दावा सं0- 560/95 प्रस्तुत कर ख0नं0 329 वाके सरगोठ वर्तमान राजस्व ग्राम परसरामपुरा में से उतरी पूर्व रकबा 0.38 हैक्टर की खातेदारी अपने नाम अंकित करवाकर दिनांक 7-1-2013 को प्रतिवादी सं0 29 व 30 को दिनांक 8-4-2013 को प्रतिवादी सं0-31 को विक्रय कर दिया । इसी डिक्री की भूमि को अलग अलग व्यक्तियों को हस्तान्तरण कर दिया जिस बाबत अदालत मातहत ने न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील विचाराधीन होना मानकर वाद को विधि वर्जित मान कर खारिज करने में गम्भीर कानूनी भूल की है। क्योंकि वाद संख्या 560/95 के वादीगण द्वारा अपनी सम्पूर्ण भूमि पूर्व में ही विक्रय की जा चुकी थी तथा शेष रही भूमि एन0एच0-11 में अवाप्त हो चुकी थी व तत्पश्चात सैटलमेन्ट के पश्चात उनका नाम खातेदारी में नहीं थी। जिन्होने न्यायालय को मुगालता देकर राजस्व रेकार्ड के विपरित डिक्री प्राप्त की है जो साक्ष्य का विषय था तथा इस बिन्दू को साक्ष्य के बाद ही निर्णित किया जाना चाहिये था किन्तु अदालत मातहत ने दावा का निर्णय केवल कानूनी बिन्दू पर विधिक भूल की है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में कहीं भी यह दर्ज नहीं किया कि यह दावा कौनसी विधि से वाद वर्जित है ।वाद दर्ज रजिस्टर कर लिये जाने के बाद सभी प्रतिवादीगण की तामिल

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

करवाई जाकर जबाब दावा लिया जाकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर दावा का निर्णय किया जाना चाहिये किन्तु अदालत मातहत दावा को मनमर्जी से विधि विहित वर्जित मानकर खारिज करने में कानूनी भूल की है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई ।रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रतिवादी सं0-19, 36 व 37 ने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट किया है कि अपीलान्ट/वादी ने बंटवारा बाबत दावा पेश किया है । इसी आराजी के बाबत बंटवारा का दावा सं0-560/1995 बउनवानी श्यामाराम बनाम कैलाशचन्द्र बंटवारा का पेश किया जिसका निर्णय पूर्व में किया जा चुका जिसका वर्णन वादी ने अपीलान्ट ने अपने दावे में वर्णन कर रखा है ।दूसरी तरफ वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम ।।-सीपीसी को तो प्रतिवादी के वकील ने नोट प्रेस कर दिया था । इस प्रार्थना पत्र अदालत मातहत को दावा खारिज नहीं करना चाहिये था । दावे में किसी प्रतिवादी के तामिल के आदेश भी नहीं हुये ।जब प्रार्थना पत्र को नोटप्रेस कर लिया गया तो दावे में सभी पक्षकारों की तामिल करवाई जाकर जबाब दावा लेकर प्रकरण में तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेते हुये निर्णय किया जाना चाहिये था जिसके सन्दर्भ में कानूनी नजीर आरआरडी 2015 पेज-284, आरआरडी 2009 पेज-245, आरआरडी 2001 पेज-100, आरआरटी 2015(1) पेज-474, 655, 658, आरआरटी 2014(1) पेज-101, 201 प्रस्तुत की जिसमें दावे का निर्णय किसी कानूनी बिन्दू पर न कर गुणावगुण पर विधिक प्रक्रिया अपना कर किया जाना चाहिये स्पष्ट किया गया है । दूसरी तरफ विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट किया है कि विवादित आराजी के बँटवारा का दावा पूर्व में निर्णित हो चुका जिसकी अपील माननीय न्यायालय में अपील

विचाराधीन बताई है जिसके बाबत अपीलान्ट ने अपने दावे में ही उल्लेख कर रखा है । जिसकी अपील भी अपीलान्ट ने ही पेश कर रखी है । अब उसी आराजी के बाबत अपीलान्ट दूसरा दावा नहीं कर सकता । अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की उसमें तथ्य भिन्न है ।जो प्रकरण पर किसी भी रूप में चस्पा नहीं होना दर्ज किया तथा अपनी बहस के समर्थन में कानूनी नजीर डी0एन0जे0 2017§1§राज0-पेज-1 एवं डी0एन0जे0 2010§1§राज0 पेज-138 पेश की है । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दावा सं0-560/95 श्यामाराम बनाम कैलाश इसी आराजी के बाबत इन्ही पक्षकारों के मध्य बंटवारा का ही पेश किया है । अब अपीलान्ट द्वारा पुनः दूसरा दावा इन्ही आराजीयात का बंटवारा का पेश किया है जो पूर्णतया रेसजूडीकेटा की श्रेणी में आता है जो विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरों के अनुसार विधि द्वारा वर्जित है। अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय दिनांक 11-4-2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय तरे इजलास आज दिनांक 9.4.2018 को सुनाया गया ।

9/4/18

§[illegible]§
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

डिक्री वर्सिंग अपील
(आर्डर 41 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर।

इजलास -श्री भंवरलाल मेहरड़ा आर०ए०एस०

नानूराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0-1 ग्राम परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0)

--अपीलान्ट--

--बनाम---

1-भगवानसहाय पुत्र रामाराम जाति अहीर निवासी ढाणी जोहडावाली तन महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर(राज0) आदी

--रेस्पोडेन्टस--

नोट- उनवान संलग्न है।

अपील नम्बर 29 सन् 2017 बनाराजगी डिक्री अदालत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

मुकाम - दिनांक 11 माह 4 सन् 2017

-दावा बाबत -

यह अपील व तारीख 9-4-2018 हब्स हमारे व हाजिर श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया मिनजानिब अपीलान्टस् व हाजिर श्री प्रभातीलाल मिनजानिब रेस्पोडेन्टस् समाहत के लिये हुक्म हुआ कि अपील अपीलान्ट साबित नहीं होने से अपील खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय दिनांक 11-4-2017 यथावत रखा जाता है

खर्चा फरीकैन हस्व तकसीत वादाबी युबलिग XXX रूपये अदा करें।

खर्चा मुकदमा मातहत का XXX रूपया अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारिख 9-4-2018 को जारी की गई।

दस्तखत - भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
ओहदा - पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलार्थीगण	रूपये पैसे	गैर अपीलार्थीगण	रूपये पैसे
1- स्टाम्प अपील		1- स्टाम्प वकालतनामा	
2- स्टाम्प वकालतनामा		2- स्टाम्प अर्जी	
3- इजराय हुक्मनामा		3- इजराय हुक्मनामा	
4- तलबाना मुतफुरकात		4- मुतफुरकात	
5- मिजान		5- मिजान	
योग		योग	